न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 426/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– आईदानराम पुत्र मुगलाराम 2– भोमाराम पुत्र मुगलाराम 3– भेराराम पुत्र मुगलाराम जातियान मेगवाल 4– कसुम्बी पत्नी अब्दुल अजीज मुसलमान 5– मोहन उर्फ मोहनराम पुत्र धुला उर्फ धुडाराम 6– सुखा उर्फ सुखाराम पुत्र धुला उर्फ धुडाराम मेगवाल निवासीगण मूंजासर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर		1– समेरखां पुत्र गफुरखां 2– समसुदीन पुत्र गफुरखां 3– कमरदीन पुत्र गफुरखां 4– सखी मोहम्मद पुत्र खमूखां 5– मेहरदीन पुत्र खमुखां 6– सदीक पुत्र खमूखां 7– दोष मोहम्मद पुत्र इब्राहिम खां 8– एमदीन पुत्र इब्राहिम खां 9– निजामदीन पुत्र इब्राहिम खां 10–खेरूखां पुत्र अब्दुल खां 11–फकीरदीन पुत्र जमाल खां 12–आरबखां पुत्र जमाम खां 13–फतेखां पुत्र जमाल खां 14–हुसैन खां पुत्र जमाल खां सभी जातियान सिपाही मुसलमान निवासीगण मूंजासर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 15–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–2016 जो उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 207/2016 अनवान समेरखां बनाम तहसीलदार लोहावट मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2– श्री नाहर सिह सोलंकी रेस्पो0 गण की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 15 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 31–1–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर अपने खातेदारी की भूमि ग्राम मूंजासर के खसरा नंबर 221 व 212 व उसक बट्टा नंबरो की भूमि की बाहरी सीमा पर पत्थरगढी करवाने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–7–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार लोहावट को प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबरान की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16–4–2016 के अनुसार संबंधित पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे करने

के आदेश पारित किये गये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का अवहेलना करते हुए पारित किया है, इस तरह का आदेश धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया ही नही जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी संबंधी आदेश उसी स्थिति मे पारित किया जा सकता है जब पत्रावली पर कोई अविवादित पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध हो परंतु वर्तमान मामले मे जिस पैमाईश रिपोर्ट दिनाक 16–4–2016 को आधार मानकर पारित किया है, वह रिपोर्ट अन्य मामले मे खसरा नंबर 194/2 व 196/2 की भूमि बाबत तैयार की गई थी जिसका वर्तमान मामले से कोई संबंध नही होने के बावजुद उसके आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित आपत्ति पेश कर दी थी तथा उस पर सुनवाई की जाकर दिनांक 9–7–16 को आपत्ति का आदेश पारित किया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9–7–16 को केम्प कोर्ट मे पत्रावली को ले जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार यदि पत्थरगढी की कार्यवाही की जाती है तो अपीलार्थी को खसरा नंबर 208 मे स्थित अपनी ढाणी एवं खसरा नंबर 213 व 220 के खातेदारो को अपने भूमि से वंचित होना पडेगा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार लोहावट से रिपोर्ट तलब करने का कोई आदेश ही पत्रावली पर नही दिया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे यह लिख दिया गया कि तहसीलदार लोहावट से रिपोर्ट ली गई जबकि दिनांक 10–6–2016 के बाद की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम कार्यवाही बहुत जल्दबाजी मे करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 212 व 221 की भूमियो बाबत कोई तरमीम की हुई नही है एवं रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित कोई खसरा नंबर की भूमि नक्शे मे दर्शाई हुई ही नही है । ऐसी स्थिति मे माफिक प्रार्थना पत्र न तो कोई पैमाईश रिपोर्ट आ सकती है और न ही पत्थरगढी की जा सकती है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि खसरा नंबर 213 एवं 220 के अपीलांटगण के अलावा और भी बहुत से खातेदार है जिन्हे रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पक्षकार ही नही बनाया गया जबकि वे आवश्यक पक्षकार थे इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–7–16 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि सीमांकन रिपोर्ट दिनां क 16–4–16 की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति मे तैयार की गई थी उसके बाद रेस्पो0 ने अपने खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी उक्त रिपोर्ट के माफिकर करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है उसमे प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबरान की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16–4–2016 के अनुसार संबंधित पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे करने के आदेश पारित किये है तो अपीलांट तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्ति प्रकट कर सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही, सीमाकंन फर्द दिनांक 16–4–2016 तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण द्वारा दिनांक 8–6–2016 को प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के फोलो अप केम्प कोर्ट मे पेश हुई तथा/प्रार्थना पत्र के पीछे तहसीलदार लोहावट की रिपोर्ट दिनांक 10–6–16 को की हुई है जिसमे पैमाईश फर्द दिनांक 16–4–16 के आधार पर पत्थरगढी की जाने मे कोई एतराज नही होना उल्लेख किया है परंतु तहसीलदार की रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया हुआ है कि अन्य पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार विवाद की संभावना को देखते हुए पुलिस जाब्ता के साथ पत्थरगढी की जावे । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अन्य पक्षकारान की आपत्ति को निस्तारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–7–2016 को पारित करते हुए उनके समक्ष वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9--7–2016 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

111, 128 आर.एल.आर.एक्ट मे वर्णित अपीलाधीन भूमि की उभयपक्ष (वर्तमान अपीलांटगण व रेस्पो0गण) एवं अन्य पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे पहले विधिवत सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करे, सीमाज्ञान रिपोर्ट पर कोई विवाद होने पर पक्षकारान को सुनकर पुनः पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 31–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर